न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –31/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्दस
अतिराज उर्फ अतुवाई पत्नि स्व. मंगलदास जाति साद निवासी ग्राम खोडवा तहसील खींवसर हाल निवासी मूण्डवा बाडी गली मौहल्ला तहसील मूण्डवा जिला नागौर		1. पतासी पत्नि भंवरदास जाति साद 2. रामाकिशन पुत्र मंगलदास जाति साद 3. सुमित्रा पुत्री मंगलदास जाति साद 4. कौशल्या पुत्री मंगलदास जाति साद निवासीगण ग्राम खोडवा तहसील खींवसर जिला नागौर 5. तहसीलदार खींवसर, जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री रामकिशोर मुण्डेल।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–2,3 व 4 की ओर से वकील श्री हरदेवराम एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–5 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक : 21-5-18

अपीलांट ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम खोडवा तहसील खीवसर का म्यूटेशन संख्या 53 जो तहसीलदार खींवसर द्वारा दिनांक 02.10.1977 को स्वीकृत किया गया किया जाना अपनी अपील में दर्शित करते हुऐ यह अपील दिनांक 28.03.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील अपीलान्टस् ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पतासी ने सम्मन तामिल के बावजूद भी हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील अपीलान्टस् ने मियाद प्रार्थना पत्र के संबंध में अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के पति मंगलदास एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के पुश्तैनी समय की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि के खेताय हाल खसरा नंबर 99 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा ग्राम खोड़वा में, खसरा नंबर 15 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 39 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा की संयुक्त रुप से ग्राम हरिपुरा में रहती चली आई है। मंगलदास का देहान्त संवत 2033 में निर्वसीयत हो गया, हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत मंगलदास के देहान्त के बाद गलत रुप से उनके दो पुत्र भंवरदास एवं रामाकिशन के नाम पटवारी हल्का एवं ग्राम पंचायत से मिलावट कर गलत रुप से दोनो पुत्रो का नाम कृषि भूमि के म्यूटेशन में दर्ज करा दिया। जबकि मंगलदास के देहान्त के बाद उनके सभी उतराधिकारी प्रथम श्रेणी के वारिस नाम दर्ज करना चाहिए था, जो खातेदारी मंगलदास के उतराधिकारी तमाम के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी, इसलिए म्यूटेशन संख्या 53 अवैध व शुन्य है। वादग्रस्त तमाम कृषि भूमि में सभी पक्षकारान का 1/5–1/5 हिस्सा निहित है एवं भंवरदास के 1/5 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा अपीलांट का है। फिर भी नामान्तरकरण संख्या 600 ग्राम खोडवा एवं हरिपुरा का म्यूटेशन नंबर 67 गलत दर्ज किया है, जो म्यूटेशन नंबर 53 के आधार पर आगे दर्ज

कलक्टर, नागौर

हुआ हैं, इसलिए मूल म्यूटेशन नंबर 53 को निरस्त किया जाने के लिए यह अपील अपीलांट व रेस्पोडेन्टस तमाम का नाम दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत की जा रही है, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति दो नाम म्यूटेशन गलत रुप से किया जाने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अकेली का नाम दर्ज होने से दिनांक 29.04.2016 एवं 30.04.2016 के दरमियान सम्पूर्ण भूमि विकय करने की धमकियां देने लगी, तब अपीलांट को पता चलने पर नकले प्राप्त कर यह अपील जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांट ने म्यूटेशन नंबर 53 की नकल का आवेदन दिनांक 03.03. 2017 को पेश किया, जो नकल प्राप्त होने पर यह अपील नकल मिलने से अंदर मियाद अब पेश की हैं, जिससे अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाकर अपील अपीलांट अंदर मियाद शुमार की जाना न्यायोचित होने का कथन करते हुए अपील पेश करने में विलम्ब माना जावे तो विलम्ब को कंडोन जाकर अपील अपीलांट की जानकारी अंदर मियाद शुमार करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या–2,3 व 4 श्री हरदेवराम ने वकील अपीलांट का मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने वकील अपीलान्ट की बहस का खण्डन करते हुऐ कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर सहानूभूतिपूर्वक विचार करते हुए न्यायहित में इस अपील का गुणावगुण के आधार पर सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाना उचित है। अपीलान्ट की अपील पर मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय बहस सुनी गई। अपीलांट के पति मंगलदास एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के पुश्तैनी समय की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि के खेताय हाल खसरा नंबर 99 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा ग्राम खोड़वा में, खसरा नंबर 15 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 39 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा की संयुक्त रुप से ग्राम हरिपुरा में रहती चली आई है। मंगलदास का देहान्त संवत 2033 में निर्वसीयत हो गया, हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत मंगलदास के देहान्त के बाद गलत रुप से उनके दो पुत्र भंवरदास एवं रामाकिशन के नाम पटवारी हल्का एवं ग्राम पंचायत से मिलावट कर गलत रुप से दोनो पुत्रो का नाम कृषि भूमि के म्यूटेशन में दर्ज करा दिया। जबकि मंगलदास के देहान्त के बाद उनके सभी उतराधिकारी प्रथम श्रेणी के वारिस नाम दर्ज करना चाहिए था, जो खातेदारी मंगलदास के उत्तराधिकारी तमाम के नाम दर्ज की जानी चाहिए था, इसलिए म्यूटेशन संख्या 53 अवैध व शुन्य है। वादग्रस्त तमाम कृषि भूमि में सभी पक्षकारान का 1/5–1/5 हिस्सा निहित है एवं भंवरदास के 1/5 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा अपीलांट का है। फिर भी नामान्तरकरण संख्या 600 ग्राम खोडवा एवं हरिपुरा का म्यूटेशन नंबर 67 गलत दर्ज किया है, जो म्यूटेशन नंबर 53 के आधार पर आगे दर्ज हुआ है इसलिए मूल म्यूटेशन नम्बर 53 को निरस्त किया जाने के लिए यह अपील अपीलांट व रेस्पोडेन्टस तमाम का नाम दर्ज किया जाने हेतु प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पति दो के नाम म्यूटेशन गलत रुप से किया जाने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अकेली का नाम दर्ज होने से दिनांक 29.04.2016 एवं 30.04.2016 के दरमियान सम्पूर्ण भूमि विकय करने की धमकियां देने लगी, तब अपीलांट को पता चलने पर नकले प्राप्त कर यह अपील जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की गई है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने न्याय के सिद्वान्तों की अवहेलना कर म्यूटेशन स्वीकृत किया है जो प्रथम दृष्टया अपास्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक के वारिसान की कोई भी विधिक रुप से जांच नही कि, ना ही साक्ष्य सबूत प्राप्त किया गया, केवल मात्र पटवारी हल्का की अपुष्ट रिपोर्ट के आधार पर आंख बंद

कर म्यूटेशन दर्ज करने में सही वारिसान का नाम दर्ज नही कर अनियमितता बरती है, जिससे म्यूटेशन संख्या 53 ग्राम खोड़वा का काबिल निरस्त किये जाने के है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने मृतक भंवरदास का मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ उसका उतराधिकारी प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत खोडवा द्वारा जारी किया गया कि जांच नहीं की, ना ही अन्य उतराधिकारी को सूचना देकर सुनवाई का अवसर दिया गया। अगर सूचना दी होती तो अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के हक प्रमाणित नहीं होते एवं उनका नाम भी इन्द्राज किया जाता। मगर पटवारी हल्का की अपुष्ट रिपोर्ट को मानकर के मात्र एक दिन में ही म्यूटेशन स्वीकृत करने में कानूनी भूल की है। पटवारी हल्का खोड़वा ने दिनांक 24.08.1976 को मंगलदास पुत्र लिखमीदास के फौत होने पर केवल मात्र भंवरदास व रामाकिशनदास दो लड़को के नाम ही म्यूटेशन दर्ज किया एवं आर आई ने पूरी जांच किये बगैर ही तहसीलदार ने दिनांक 02.10.1977 को गलत रुप से मंजूर कर स्वर्गीय मंगलदास के अन्य उतराधिकारीगण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को हको से वंचित कर दिया जिससे म्यूटेशन नंबर 53 को अपास्त किया जाकर यह जानकारी से तुरन्त मियाद के भीतर पेश किया गया है, इसलिए अपील को गुणावगुण पर सुना जाकर म्यूटेशन नंबर 53 ग्राम खोड़वा को निरस्त किया जाकर स्वर्गीय मंगलदास के तमाम वारिसान के नाम म्यूटेशन दर्ज किया जाना न्यायोचित होने का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट ने अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर म्यूटेशन संख्या 53 दिनांक 02.10.1977 ग्राम खोड़वा का निरस्त किया जाकर स्वर्गीय मंगलदास के तमाम उतराधिकारीगण का उनकी कृषि भूमि के खेताय के हक अधिकार मे अमल दरामद करवाये जाने के लिए नामान्तरकरण संख्या 53 मे संशोधन कर स्वर्गीय मंगलदास के उतराधिकारीयों का नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3 व 4 की और से वकील श्री हरदेवराम ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ग्राम खोड़वा तहसील नागौर जिला नागौर के नामान्तरकरण संख्या–53 जो दिनांक 02.10.77 को तहसीलदार(भू.अ.) खींवसर द्वारा मंजूर किया जाना अवगत कराते हुए उक्त म्यूटेशन को निरस्त करने का निवेदन किया है।

म्यूटेशन जैर अपील के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त म्यूटेशन किसके द्वारा मंजूर किया गया है, यथा तहसीलदार अथवा सरपंच द्वारा मंजूर किया गया है। यह अपीलान्ट द्वारा यह पूर्णतया स्पष्ट करना आवश्यक है कि उक्त म्यूटेशन किसके द्वारा मंजूर किया गया, क्योंकि तहसीलदार द्वारा ही म्यूटेशन आदेश पारित करने पर न्यायालय हाजा में अपील की जा सकती है और यदि म्यूटेशन आदेश संरपच द्वारा पारित किया गया है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा को सुनवाई करने की अधिकारिता नहीं है। म्यूटेशन जैर अपील आदेश 02.10.77 का है एवं तत्समय तहसील खींवसर सृजन ही नहीं हुआ था, इससे स्पष्ट है कि म्यूटेशन जैर अपील तहसीलदार खींवसर द्वारा मंजूर नहीं किया गया है। उक्त म्यूटेशन फोतगी का म्यूटेशन है, जिसके संबंध में प्रथम अधिकार ग्राम पंचायत को है, इसलिए भी उक्त वादग्रस्त म्यूटेशन तहसीलदार खींवसर द्वारा स्वीकृत किया जाना प्रथम दृष्टया संभाव्य नहीं है। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के प्रथम पैरा में अंकित किया है कि "मंगलदास के देहान्त के बाद गलत रूप से उनके दो पुत्र भंवरदास एवं रामाकिशन के नाम पटवारी हल्का एवं ग्राम पंचायत से मिलावट कर गलत रूप से दोनों पुत्रों का नाम कृषि भूमि के म्यूटेशन में दर्ज करा दिया।" इस प्रकार वकील अपीलान्ट का उक्त कथन कि "ग्राम पंचायत से मिलावट कर" से उक्त वादग्रस्त म्यूटेशन तहसीलदार खींवसर द्वारा मंजूर नहीं किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा मंजूर किया जाना ही प्रकट होता है, का कथन करते हुए राजपैरोकार ने अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

कलक्टर, नागौर

वकुलाय की बहस पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ग्राम खोड़वा तहसील नागौर जिला नागौर के नामान्तरकरण संख्या–53 जो दिनांक 02.10.77 तहसीलदार(भू.अ.) खींवसर द्वारा मंजूर किया जाना अवगत कराते हुए उक्त म्यूटेशन को निरस्त करने आदि के संबंध में निवेदन किया है।

उक्त संबंध में वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति तथा न्यायालय हाजा को प्राप्त उक्त मूल म्यूटेशन का अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त म्यूटेशन जैर अपील किसके द्वारा मंजूर किया गया है, यथा तहसीलदार द्वारा मंजूर किया गया है अथवा सरपंच द्वारा मंजूर किया गया है। अपीलान्ट द्वारा यह पूर्णतया स्पष्ट करना आवश्यक है कि उक्त म्यूटेशन किसके द्वारा मंजूर किया गया है एवं क्योंकि तहसीलदार द्वारा म्यूटेशन के संबंध में आदेश पारित करने की दशा में ही इस न्यायालय को सुनवाई की अधिकारिता है और यदि सरपच ग्राम पंचायत द्वारा म्यूटेशन के संबंध में आदेश पारित किया गया है तो ऐसी स्थिति में इस न्यायालय को सुनवाई करने की अधिकारिता नहीं है।

म्यूटेशन जैर अपील आदेश 02.10.77 का है एवं तत्समय तहसील खींवसर सृजन ही नहीं हुआ था एवं वादग्रस्त म्यूटेशन पर भी तहसील का नाम खींवसर नहीं होकर तहसील नागौर अंकित है, इससे यह प्रबल संभावना है कि म्यूटेशन जैर अपील तहसीलदार खींवसर द्वारा मंजूर नहीं किया गया है। उक्त म्यूटेशन फोतगी का म्यूटेशन है जिसके संबंध में प्रथम अधिकार ग्राम पंचायत को है, इसलिए भी उक्त वादग्रस्त म्यूटेशन तहसीलदार खींवसर द्वारा स्वीकृत किया जाना प्रतीत नहीं होता है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के प्रथम पैरा में अंकित किया है कि "मंगलदास के देहान्त के बाद गलत रूप से उनके दो पुत्र भंवरदास एवं रामाकिशन के नाम पटवारी हल्का एवं ग्राम पंचायत से मिलावट कर गलत रूप से दोनों पुत्रों का नाम कृषि भूमि के म्यूटेशन में दर्ज करा दिया।" इस प्रकार वकील अपीलान्ट का उक्त कथन कि **"ग्राम पंचायत से मिलावट कर"** से उक्त वादग्रस्त म्यूटेशन तहसीलदार खींवसर द्वारा मंजूर नहीं किये जाने की संभावना को बल मिलता है। वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई कि म्यूटेशन जैर अपील आदेश तहसीलदार खींवसर द्वारा पारित किया गया है, इसलिए अपीलान्ट की अपील विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील विधि अनुसार चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) कलेक्ट्रेट नागौर को मूल म्यूटेशन तथा निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर